120

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

(1)

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

ग्वालियर

प्र. क. /18–19 रिवीजन

निगरानी – 6508/2018/अनूपपुर/भू.रा.

राजेश सोनी पुत्र श्री रामरूद्र सोनी निवासी कोतमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर म.प्र.

सूरजभान लोधी एडवोकेट
20-12-2018

निगरानीकर्ता

सूरजभान लोधी - अधि०
20-12-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-12-18 नियत।
रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 20/12/18

वनाम

1. मुस्ताक अहमद पुत्र श्री मोहयुददीन निवासी वार्ड 6 कोतमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर अनूपपुर म.प्र.

प्रतिनिगरानीकर्ता

श्रीमती आदर्श सक्सेना शपथ आयुक्त ग्वालियर

पुनरीक्षण/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू0राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकी 22.10.2018 पारित द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री जे. के. जैन, आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल म0प्र0 प्रकरण कमांक 26/अपील/2016–17 जिसके द्वारा अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण 61/अपील/2012–2013 अपीलं में पारित आदेश दिनांकी 17.12.2013 को निरस्त करते हुए तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.12.2012 को स्थिर रखा गया, जिससे

(120)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.- 6508/2018/अनूपपुर/भू0रा0

राजेश सोनी विरूद्ध मुस्ताक अहमद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री सूरजभान लोधी अभिभाषक उपस्थित। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया। 2. प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग के प्रकरण क्रमांक 26/अपील/2016-17 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 22-10-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत दिनांक 20-12-2018 को प्रस्तुत की गई थी। 3. आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में हुये नवीन संशोधन दिनांक 25-09-2018 के पश्चात दायर की गई है। अतः उक्त संशोधन के पश्चात आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) सदस्य 12/3/19	